संख्या-1/2016/119एस0ची0उ0अनु0-1/16-2503/2010

प्रेषक,

राहुल भटनागर,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

गन्ना एवं चीनी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चीनी उद्योग अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 28 जनवरी, 2016

विषयः- वर्तमान पेराई सत्र 2015-16 में चीनी मिलों द्वारा गन्ना मूल्य के भुगतान में आ रही कठिनाईयों के दृष्टिगत गन्ना क्रय कर के भुगतान पर एक वर्ष की छूट दिए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पेराई सत्र 2014-15 की भाँति वर्तमान पेराई सत्र 2015-16 में गन्ना मूल्य के भुगतान में चीनी मिलों को हो रही कठिनाई तथा गन्ना कृषकों को गन्ना मूल्य का भुगतान शीघ्रातिशीघ्र बेहतर ढंग से करने की दृष्टि से पेराई सत्र 2015-16 में चीनी मिलों द्वारा क्रय किए गए गन्ने पर देय गन्ना क्रय कर से छूट प्रदान किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- गन्ना क्रय कर में छूट की अधिकतम सीमा पेराई सत्र 2015-16 में पेरे गए गन्ने की वास्तविक मात्रा के क्रय कर के समतुल्य अर्थात इसकी गणना क्रय किए गए गन्ने की मात्रा **X** क्रय कर की प्रति कुन्तल दर रूपये 2.00 होगी।

भवदीय,

(राहुल भटनागर)
प्रमुख सचिव।

संख्या-1/2016/119(1)एस0ची0उ0अनु0-1/16-2503/2010 तद्-दिनांक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2- प्रमुख सचिव, वित्त, उ0प्र0 शासन।
3- प्रमुख सचिव, अवस्थापना एंव औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
4 प्रमुख सचिव, वाणिज्य कर, उ0प्र0 शासन।
5- प्रमुख सचिव, आबकारी, उ0प्र0 शासन।
6- प्रमुख सचिव, न्याय, उ0प्र0 शासन।
7- अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, लखनऊ।
8- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य चीनी निगम लि0, लखनऊ।
9- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 सहकारी चीनी मिल्स संघ लि0, लखनऊ।
10- निदेशक, उ0प्र0 गन्ना शोध परिषद, शाहजहाँपुर।
11- निदेशक, उ0प्र0 गन्ना किसान संस्थान, लखनऊ।
12- निदेशक, सूचना निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
13- चीनी उद्योग अनुभाग-2 एवं 3
14- अध्यक्ष, यू0पी0 शुगर मिल्स एसोसिएशन।

आज्ञा से,

(प्रमोद कुमार उपाध्याय)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in